

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी (गया)

पत्रांक: 1019/8130

दिनांक: 14/08/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी (NABARD),
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

विषय :- नाबार्ड (राज्य योजना) योजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में आवंटन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CFMS के माध्यम से आवंटन राशि 2,58,123/- पत्रांक 13/EIC-01-05/2023, Order No. 9337 दिनांक 18.03.2024 को प्राप्त हुआ था। परन्तु CFMS में तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो सका एवं यह राशि दिनांक 31.03.2024 को CFMS के माध्यम से स्वतः प्रत्यार्पित हो गया है।

अतः उपरोक्त राशि का अधियाचना पुनः समर्पित की जा रही है। कृपया आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150
Form of utilisation Certificate up to the month of **June 2024**

Nabard

Maintenance Fund

PIU : Executive Engineer , R.W.D. Work Division Nimchak Bathani (Gaya)

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Nabard. (Maintenance Fund)		0.00000	Certified that out of Rs. 0.00/- Lacs received during the year 2024-25 in favour of Executive Engineer, RWD Bihar, a sum of Rs. 0.00/- lacs has been utilized for the purpose of Nabard Maintenance. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 00.00/- Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	Total		0.00000	

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned

Kind of Checks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material has been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved:

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.

[Signature]
14/08/24

D.A.O.
Rural Works Department
Work Division Nimchak Bathani

[Signature]
14/08/24

Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division Nimchak Bathani

[Signature]
14/08/24

[Signature]
14/08/24

क्र. ०	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकशतनामा के अनुसार	वय की राशि वर्षवार	वर्तमान अधिप्राप्ति राशि
1	Neemchak Bathani	Atri Bathani main Road To Morabichak Bridge Approach Slab with approach road.	1.21800	प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
			1.51900	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	
			2.13300	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	
			2.53600	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	
			2.94200	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	
			10.34800	कुल राशि (लाख में)	
			0.00	प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	वर्तमान अधिप्राप्ति राशि
			0.00	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	
			0.00	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	
			0.00	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	
			0.00	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	
			0.00	कुल राशि (लाख में)	
			166.673 Lt.196/15.01.2019	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनांक सहित पत्रांक (लाख में)	
			148.05060	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	
			10.14 Lt.196/15.01.2019	अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक/ दिनांक	
			06.09.2023	मुल निर्माण कार्य करने पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	
			1.12678	प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	वर्तमान अधिप्राप्ति राशि
			1.45445	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	
			0.00	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	
			0.00	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	
			0.00	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	
			2.58123	कुल राशि (लाख में)	

- प्रमडलीय लेखा पदाधिकासी
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)रा0यो0-03-594/2018

196

/पटना, दिनांक-15/01/19

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0

विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी अन्तर्गत बथानी प्रखंड के अतरी बथानी मेन रोड से मोरब्बीचक पुल का पहुँच पथ (अप्रोच) एवं सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.790 कि०मी० निर्माण हेतु रू० 153.533 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 10.140 लाख अर्थात् कुल 166.673 लाख रुपये (एक करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार तीन सौ रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना- उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी अन्तर्गत बथानी प्रखंड के अतरी बथानी मेन रोड से मोरब्बीचक पुल का पहुँच पथ (अप्रोच) एवं सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.790 कि०मी० निर्माण हेतु रू० 153.533 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 10.140 लाख अर्थात् कुल 166.673 लाख रुपये (एक करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार तीन सौ रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया एवं मुख्य अभियंता-1, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या-मु0 अ0-4 (मु0)रा0यो0-03-594/2018 के पृ० सं०-03/टि० पर दिनांक-12.12.2018 को किया गया है।

S.P.

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-५९४/२०१८ के पृ० सं०-०५/टि० पर दिनांक-२६.१२.२०१८ को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-४-४५/९४-३०१ वि (२) दिनांक ३१.०१.१९९५ एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (८)-११-२००५-५०९० वि (२) दिनांक १५.०९.०५ एवं २९५ दिनांक २४.०३.१५ के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० ९६ दिनांक ०३.०१.२००८ एवं ३७५८ दिनांक-३०.०५.२०१७ में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-५९४/२०१८ के पृष्ठ संख्या-०९/टि० पर दिनांक-१०.०१.१९ को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वसभाजित
14/1/19
(संजय कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-५९४/२०१८

196

/पटना, दिनांक-१५/०१/१९

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

/पटना, दिनांक-१५/०१/१९

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-५९४/२०१८

196

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, गया/उप विकास आयुक्त, गया/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्प्लेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव